प्रथम स्मरण पत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवंवन बंदोबस्त), अरावली भवन, जयपुर।

क्रमांकः–एफ ( )/अप्रमुवसं/सूप्रौ/CUG/2014-15/ 3412-30 दिनांकः– 15/5/14

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर कोटा, उदयपुर,
मुख्य वन संरक्षक,वन्य जीव भरतपुर, वन्य जीव जयपुर, वन्य जीव जोधपुर, वन्य जीव कोटा, वन्य जीव उदयपुर, विभागीयकार्य जयपुर, आर.वी.पी कोटा, एफ.पी.आर जयपुर, सिल्वा, जयपुर।
उप वन संरक्षक प्रशासन कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE), राजस्थान जयपुर।

विषय :– कर्मचारियों के लिये CUG SIM उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक 3113–32 दिनांक 25.04.14

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रो के कम में लेख है कि अभी भी अधिकांश कार्यालयों द्वारा CUG सिम जारी करने हेतु वांछिक सूचनायें अभी तक नहीं भेजी गई है इसी क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आपके एवं अधिनस्थ वन मण्डलों हेतु वन कर्मचारियों के विभाग द्वारा क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) SIM जारी करने के लिये आपके एवं अधिनस्थ वन मण्डल कार्यालय से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है–

1. उन सभी फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों (मंत्रालयिक व वर्कचार्ज कर्मचारियों को छोड़कर) जिन्हें राज्य सरकार से दूरभाष का पुर्नभरण प्राप्त नहीं होता है एव जिनको पहले सिम नहीं मिली है उन्हें विभाग द्वारा मुफ्त CUG SIM उपलब्ध कराया जा रही है इस हेतु प्रपत्रों में सभी पात्र कर्मचारियों की सूचनायें भलीभाति चैक कर निम्नानुसार भेजें :–

(A) प्रपत्र–1 (Excel sheet) में सभी पात्र कर्मचारियोंकी सूचना Microsoft Excel format मे टंकित कर इस कार्यालय के ई–मेल pa.gis.forest@rajasthan.gov.in पर प्रेषित की जावें। जिससे तुरन्त सिम जारी करने में सुविधा हो सके। प्रपत्र –1 में नाम व विवरण पे– मैनेजर के अनुसार अग्रेजी में ही टंकित करें। Employee ID No. के कॉलम में New Employee की ID नही होने पर **New Employee/नवनियुक्त** लिखे।

(B) ई–मेल से भेजने के अतिरिक्त प्रपत्र–2 में फोटो व हस्ताक्षर सहित सूचना प्रिंट कर भी अलग से भेजे।

(C) CUG सिम जारी करने सम्बन्धी BSNL की Terms & Conditions स्वीकार होने के बारे में प्रत्येक कर्मचारी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर Terms& Conditions के पृष्ठ के प्रपत्र–3 में करवायें

2. पूर्व संदर्भित पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र (1,2,3) विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

3. यह भी सुनिश्चित करे कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी कारण से राज्य सेवा में न रहे तो उसका SIM अपने कार्यालय में जमा कर, उस SIM को किसी और पात्र कर्मचारी को आंवटित की जाने से पूर्व उपरोक्त तीनो प्रपत्रो में सूचना के साथ–साथ फोटोग्राफएवं Terms & Conditions के पृष्ठ पर सहमति स्परूप हस्ताक्षर करवाकर इस कार्यालय को भेजें एवं इस कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात् ही वह सिम

PTO

अन्य पात्र कर्मचारी को दी जावे। जिससे data base में विभागीय बेबसाईट पर आवश्यक परिवर्तन किये जा सके एवं नियमों की पालना सुनिश्चित की जा सके।

4. वन विभाग में ही अन्यंत्र स्थानान्तरण की दशा में SIM कर्मचारी से वापस नहीं ली जाए क्योंकि यह कर्मचारी के नाम से ही जारी की जा रही है।
5. यह सुनिश्चित करें है कि सभी सूचनायें सही है एवं सूची में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो आगामी छः माह में सेवानिवृत्त होने वाला है।
6. **गत वर्ष में आवंटित समस्त SIM का विवरण, प्राप्ति रसीद एवं कर्मचारियों की फोटो सम्बन्धी पूर्ण सूचना (प्रपत्र 2 व 3 में) भेजने के बाद ही नई CUG सिम जारी की जायेगी। कदाचित अधिकारियों द्वारा उक्त सूचना अभी भी नहीं भेजी गई है।**

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, अपने अधीन समस्त उप वन संरक्षकों से उक्त सूचना उपरोक्त प्रपत्रों में पूर्ण करवाकर इस कार्यालय को एक साथ भिजवायें। मुख्य वन संरक्षक से सूचना प्राप्त होने पर इस अनुभाग द्वारा SIM आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित को सिम प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावेगा तभी उस कार्यालय का कर्मचारी सिम प्राप्त करने आयें। BSNL की SIM कार्यालय वार, एक साथ इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके वितरण की व्यवस्था आपके स्तर से की जाकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

समस्त वन मडंलो से उक्त सूचना प्राप्त कर प्रपत्र –1 ई–मेल से भेजने के पश्चात् इस कार्यालय से अग्रिम समय लेकर आप द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को सिम प्राप्ति हेतु उसके हस्ताक्षर प्रमाणित कर मय प्रपत्र (1, 2, 3) के साथ भिजवाने का कष्ट करे, जिससे यथा संभव उसी दिन CUG सिम तुरन्त प्रभाव से आवंटित की जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ. एन.सी. जैन)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सूचना प्रौद्योगिकी,
राजस्थान, जयपुर।